

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि डा० महावीर प्रसाद गुप्ता, चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केसठ, बक्सर के पदस्थापन काल में दिनांक-16.05.2016 से 03.01.2018 एवं 01.06.2018 से 30.07.2020 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त डा० गुप्ता के विरुद्ध अनुबंध में वर्णित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

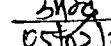
2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के अधीन डॉ० अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को संचालन पदाधिकारी तथा नियम-17(5) के अधीन प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. डा० गुप्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के अन्दर अथवा किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वयं उपस्थित हों।

4. इसमें माननीय उप (मुख्य) स्वास्थ्य मंत्री की सहमति प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


05/02/2025
(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-९/आ०-०१-६०/२०१६(स्वा०).....118(9)...../ पटना, दिनांक : 05.02.25

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित डॉ० अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जाँच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।


05/02/2025
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-९/आ०-०१-६०/२०१६(स्वा०).....118(9)...../ पटना, दिनांक : 05.02.25

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


05/02/2025
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-९/आ०-०१-६०/२०१६(स्वा०).....118(9)...../ पटना, दिनांक : 05.02.25

प्रतिलिपि:- डा० महावीर प्रसाद गुप्ता, चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केसठ, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सिविल सर्जन, भोजपुर, आरा से अनुरोध है कि इसकी प्रति आरोपित पदाधिकारी को तामिला करा कर तामिला प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


05/02/2025
सरकार के अवर सचिव।